10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

23.8.17

(17) न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

23.8.17 प्र0क0 –एक/2017 निगरानी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा.अ./2017/2841

चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा भैया ठाकुर
ग्राम अमोलपठा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्या प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती बेबीराजा पत्नि कृपाल सिंह
पुत्री वृजभान सिंह हाल निवासी
ग्राम अमोलपठा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

2– म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी --- अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 सहपिठित म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका–30– अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्र0क0 246/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–7–17 के विरुद्ध)

महोदय

## निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि विवादित भूमि ग्राम अमोलपठा की सर्वे कमांक 2152 रकबा 2.00 हैक्टर है, जिस पर आवेदक लगभग 30 वर्ष पूर्व से काविज होकर खेती कर रहा है। अनावेदक के पति ने तहसील करैरा के कर्मचारियों से सॉठगॉठ करके ग्राम अमोलपठा की भूमि सर्वे कमांक 2152 रकबा 2.00 हैक्टर का खसरे में फर्जी प्रकरण कमांक 204/1992–93 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 30–9–1994 से पटटा प्रदान किया जाना अंकित करवा लिया, क्योंकि नायव तहसीलदार,तहसील करैरा के न्यायालय का प्रकरण कमांक 204/1992–93 अ–19 आदेश दिनांक 9–9–1994 से अदम पैरबी में निरस्त किया जा चुका था, तब इसी प्रकारण में सम्यक सूचना जारी किये बिना एंव इस्तहार जारी किये बिना आदेश दिनांक 30–9–1994 से नियम विरुद्ध 2.00 हैक्टर का पटटा दिया ही नहीं जा सकता।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भूरा/2017/2841

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1.2.19 | आवेदक के अधिवक्ता श्री जी0 पी0 नायक उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 246/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 18/07/17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:–<br>धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन–<br>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा।<br>3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।<br>सदस्य<br>पेशी दिनांक 29/3/19<br>**अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर** | |